# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 08/2020
प्रविष्टि दिनांक – 21.01.2020

## उनवान

केवलराम पुत्र श्री छीतरलाल जाति बैरवा उम्र 76 साल निवासी ग्राम अरनियामाल तहसील व जिला टोंक (राज0) –आवेदक

## बनाम

1. मु0 ममता बेवा लादू
2. रविन्द्र कुमार पुत्र लादू आयु 8 साल
3. पिंकी पुत्री लादू आयु 15 साल
4. प्रिया पुत्री लादू आयु 12 साल
5. पूजा पुत्री लादू आयु 3 साल
   नाबालिगान जरिये सरपरस्ती माता खुद मु0 ममता बेवा लादू
6. मु0 मांगी पुत्री छीतर –मृतक
7. ~~दरवी पुत्री छीतर पत्नि रामदेव~~ –मृतक
   7/1 कजोड पुत्र रामदेव उम्र 45 साल निवासी ग्राम लाम्बा छापरिया तहसील व जिला टोंक राज0
8. ~~प्रेमी पुत्री छीतर पत्नि नारायण~~
   8/1 सीताराम पुत्र नारायण उम्र 45 साल निवासी ग्राम लाम्बा छापरिया, तहसील व जिला टोंक राज0
9. तहसीलदार टोंक –प्रतिवादी

उपस्थित– श्री महेश भारद्वाज – वकील आवेदक
श्री अर्जुन लाल मीना – पेरोकार सरकार

## निर्णय
## आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 08.02.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजीयात खसरा नम्बर 265, 421, 422, 1486, 1487, 1488, 1545, 1546, 1547 कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अरनियामाल पटवार हलका अरनियामाल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरनियामाल तहसील टोंक जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का घरेलू नाम कालू अंकित है, जो राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चला आ रहा है। प्रार्थी को कालू व केवलराम दोनो ही नामों से जाना जाता है और ये दोनो नाम प्रार्थी के ही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अरनियामाल में स्थित उक्त वर्णित कृषि आराजीयात खसर नम्बर 265, 421, 422, 1486, 1487, 1488, 1545, 1546, 1547 कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम अरनियामाल पटवार हलका अरनियामाल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरनियामाल तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का दर्ज घरेलू नाम कालू के स्थान पर केवलराम पुत्र छीतर बैरवा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74, नक्शा ट्रेस, नकल आधार कार्ड पर्ची, पटवारी रिपोर्ट, प्रमाण पत्र सरपंच अरनियामाल आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 8 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नही होने के उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार टोंक से जवाब तलब किया गया। पेरोकार सरकार ने जवाब में कहा कि वादपत्र मे भूमि कालू के नाम अंकित है। केवलराम के रूप में नाम शुद्ध करने हेतु साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने है।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम अरनियामाल, मे आवेदक का नाम कालू अंकित है जिसका आवेदक रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध आधारकार्ड, परिवार भामाशाह कार्ड मे आवेदक का नाम केवलराम अंकित है। केवलराम के स्थान पर कालू लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो दुरुस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। अत दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

## आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या नया 187 ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम **"कालू पुत्र छीतर"** के स्थान पर **"केवलराम पुत्र छीतर"** शुद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 08.02.2021** लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक